

क्रमांक A-12011/02/2022-स्था
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं निकटवर्ती क्षेत्रों में
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग
17वीं मंजिल, जवाहर व्यापार भवन, (एसटीसी बिल्डिंग),
टॉलस्टॉय मार्ग, नई दिल्ली-110001.

रोजगार समाचार में प्रकाशन की तिथि -23 दिसम्बर, 2023
आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 12 जनवरी 2023

वायु गुणवत्ता सूचकांक और उससे जुड़े मामलों के बेहतर समन्वय, अनुसंधान, पहचान और समस्याओं के समाधान के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) की स्थापना की गई है। आयोग सीधी भर्ती के आधार पर निम्नलिखित नियमित पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित करता है:-

क्र.सं.	पद	पदों की संख्या	वेतनमान	वर्ग
1.	सहायक कानूनी सलाहकार	1	वेतन मैट्रिक्स लेवल-10; रु.56100-177500/-	अनारक्षित
2.	कानूनी सहायक	2	वेतन मैट्रिक्स लेवल-7; रु.44900 - 142400/-	अनारक्षित
3.	लेखाकार	1	वेतन मैट्रिक्स लेवल-5; रु.29200-92300	अनारक्षित

पात्रता मापदंड:

क्र.सं. 1: सहायक कानूनी सलाहकार:

आयु: 35 वर्ष (केंद्र सरकार के प्रासंगिक निर्देशों के अनुसार आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों और सरकारी कर्मचारियों के लिए आयु में छूट)।

आवश्यक योग्यता: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में स्नातक की डिग्री के साथ सरकार या वैधानिक निकायों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कानूनी कार्य का चार साल का अनुभव।

या

विधि में स्नातकोत्तर डिग्री या पीएचडी या एम फिल के साथ सरकार या वैधानिक निकायों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में दो साल का अनुभव।

वांछनीय: प्रदूषण नियंत्रण या पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कानूनी कार्य का अनुभव।

क्र.सं. 2: कानूनी सहायक:

आयु: 32 वर्ष (केंद्र सरकार के प्रासंगिक निर्देशों के अनुसार आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों और सरकारी कर्मचारियों के लिए आयु में छूट)

आवश्यक योग्यता: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में स्नातक की डिग्री के साथ सरकार या वैधानिक निकायों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कानूनी कार्य का दो साल का अनुभव।

या

मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में स्नातकोत्तर डिग्री या पीएचडी या एम फिल

वांछनीय: प्रदूषण नियंत्रण या पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कानूनी कार्य का अनुभव।

क्र.सं. 3: लेखाकार:

आयु: 30 वर्ष (केंद्र सरकार के प्रासंगिक निर्देशों के अनुसार आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों और सरकारी कर्मचारियों के लिए आयु में छूट)

आवश्यक योग्यताएँ: वाणिज्य में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री।

वांछनीय: चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान द्वारा मान्यता प्राप्त सीए या आईसीडब्ल्यूए।

टिप्पणी; उपरोक्त सभी पद बेंचमार्क विकलांगता (पीडब्ल्यूबीडी) वाले व्यक्तियों के लिए उपयुक्त हैं। हालाँकि, पीडब्ल्यूबीडी श्रेणी के लिए कोई पद आरक्षित नहीं है।

सामान्य जानकारी:

i. प्रमाणपत्रों की स्व-सत्यापित प्रतियों के साथ आवेदन पर निर्दिष्ट स्थान पर पासपोर्ट आकार की तस्वीर के साथ निर्धारित प्रारूप के अनुसार विवरण देते हुए आवेदन **अवर सचिव (प्रशासन), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग, 17वीं मंजिल, जवाहर व्यापार भवन, (एसटीसी बिल्डिंग), टॉलस्टॉय मार्ग, नई दिल्ली – 110001** को संबोधित किया जाना चाहिए। आवेदन पत्र वाले लिफाफे पर "पद के लिए आवेदन" (पद का नाम) लिखा होना चाहिए।

ii. पद पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए स्वीकार्य सामान्य भत्ते शामिल हैं। चयनित उम्मीदवार को शुरू में दो साल की अवधि के लिए परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाएगा।

- iii. तैनाती का स्थान मुख्यालय, नई दिल्ली होने की संभावना है। हालाँकि, चयनित उम्मीदवार को आवश्यकता के आधार पर भारत के किसी भी भाग में तैनात किया जा सकता है।
- iv. आयु सीमा और अन्य पात्रता मानदंड जैसे योग्यता, अनुभव आदि निर्धारित करने की महत्वपूर्ण तिथि आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि (विज्ञापित) होगी।
- v. निर्धारित आवश्यक योग्यताएं न्यूनतम हैं और उनके होने मात्र से ही उम्मीदवार स्क्रीनिंग टेस्ट/कौशल परीक्षण/साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने के हकदार नहीं हो जाते हैं, उम्मीदवारों का स्क्रीनिंग के लिए बुलाया जाना निर्धारित पात्रता शर्तों की पूर्ति होने पर होगा।
- vi. आवेदन में उम्मीदवार को वांछनीय योग्यताओं से संबंधित न्यूनतम योग्यता सहित संबंधित क्षेत्र में अपनी सभी योग्यताओं और अनुभव का उल्लेख करना चाहिए।
- vii. भर्ती परीक्षा के लिए योजना, अनुसूची और पाठ्यक्रम सीएक्यूएम द्वारा उचित समय पर तय किया जाएगा और भर्ती परीक्षा शुरू होने से पहले यानी भर्ती परीक्षा की तारीख से कम से कम एक महीने पहले उम्मीदवारों की जानकारी के लिए केवल आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा।
- viii. विभिन्न विज्ञापित पदों के लिए चयन मानदंड इस प्रकार हैं:-
पद का नाम,

पदों की संख्या	भर्ती परीक्षा के अनुसार महत्व (वेटेज), वांछनीय योग्यता और साक्षात्कार (जहां भी लागू हो)
सहायक कानूनी सलाहकार	भर्ती नियमों के अनुसार भर्ती परीक्षा के लिए 60% महत्व (वेटेज), भर्ती नियमों के अनुसार वांछनीय योग्यता/अनुभव के आधार पर वांछनीय योग्यता के लिए 15% महत्व (वेटेज) और साक्षात्कार के लिए 25% महत्व (वेटेज)
कानूनी सहायक	भर्ती नियमों के अनुसार भर्ती परीक्षा के लिए 85% महत्व (वेटेज) और वांछनीय योग्यता के लिए 15% महत्व (वेटेज) वांछनीय योग्यता/अनुभव के आधार पर वर्गीकृत किया जाएगा।
लेखाकार	भर्ती परीक्षा के लिए 85% महत्व (वेटेज) और वांछनीय योग्यता 15% महत्व (वेटेज) दिया जाएगा।

- ix. भर्ती परीक्षा के संयुक्त अंकों और वांछनीय योग्यता के मूल्यांकन को ध्यान में रखते हुए योग्यता के आधार पर शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवार, अन्य आवश्यक/निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करने के अधीन, सहायक कानूनी सलाहकार के पद के लिए साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने के पात्र हैं। कानूनी सहायक और लेखाकार के पदों के लिए कोई साक्षात्कार नहीं है और भर्ती परीक्षा के संयुक्त अंकों और वांछनीय योग्यता के मूल्यांकन के आधार पर योग्य उम्मीदवार अन्य आवश्यक/निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करने के अधीन अंतिम चयन के लिए पात्र हैं।
- x. आयोग के पास विज्ञापित पदों को भरने या न भरने या उनकी संख्या में परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित है।
- xi. भारत सरकार के निर्धारित प्रारूप के अनुसार, जहां भी आवश्यक हो, जाति प्रमाण पत्र की स्व-सत्यापित प्रतियों का विवरण आवेदन के साथ संलग्न किया जाएगा।
- xii. जो लोग केंद्र/राज्य सरकार/स्वायत्त संगठन/केंद्रीय और राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/संगठन में कार्यरत हैं, उन्हें उचित माध्यम से आवेदन करना चाहिए अन्यथा उनके आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।
- xiii. पद पर आवेदन करने के इच्छुक आवेदकों को इन पदों के लिए आवेदन करने से पहले खुद को संतुष्ट करना होगा कि वे जिस पद के लिए आवेदन कर रहे हैं उसके लिए निर्धारित आवश्यक योग्यता और अनुभव मानदंडों को पूरा करते हैं।
- xiv. पात्रता शर्तों, आवेदन की स्वीकृति या अस्वीकृति, चयन का तरीका, योजना, पाठ्यक्रम आदि सहित सभी मामलों में आयोग का निर्णय अंतिम और उम्मीदवारों पर बाध्यकारी होगा, इस संबंध में इसलिए, किसी भी अनुरोध / प्रतिनिधित्व पर विचार नहीं किया जाएगा।
- xv. उम्मीदवारों को चेतावनी दी जाती है कि वे आवेदन पत्र भरते समय और आयोग को कोई भी जानकारी प्रदान करते समय कोई भी गलत विवरण न दें या किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी को न छिपाएं। उम्मीदवारों को यह भी चेतावनी दी जाती है कि उन्हें किसी भी स्थिति में किसी दस्तावेज़ या उनके द्वारा प्रस्तुत इसकी प्रमाणित प्रति में किसी भी प्रविष्टि को सही या संशोधित या अन्यथा छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए और न ही कोई छेड़छाड़ / मनगढ़ंत दस्तावेज़ प्रस्तुत करना चाहिए।

xvi. अपूर्ण/अहस्ताक्षरित आवेदन/फोटो के बिना आवेदन/निर्धारित प्रोफार्मा में आवेदन न होना, आवेदन के साथ आवश्यक शुल्क जमा नहीं किया गया हो तथा अंतिम तिथि के बाद आयोग में प्राप्त आवेदन पत्र बिना कोई कारण बताए अस्वीकार कर दिए जाएंगे।

xvii. किसी भी शिफारिस या दबाब बनाने पर उम्मीदवार को भर्ती के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

xviii. उम्मीदवारों को वैध और सक्रिय ईमेल आईडी के अलावा अपना स्वयं का कार्यात्मक मोबाइल नंबर देना चाहिए जो भर्ती प्रक्रिया के पूरा होने तक अपरिवर्तित रहना चाहिए। आवेदन जमा करने के बाद आयोग मोबाइल नंबर और ईमेल पते में बदलाव के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं करेगा। भर्ती प्रक्रिया के दौरान संपर्क विवरण जैसे ईमेल, मोबाइल नंबर, पत्राचार और स्थायी पता आदि सही और सक्रिय होना चाहिए। आवेदन प्राप्त होने के बाद आयोग के साथ किसी भी लिखित/टेलीफोनिक संचार पर विचार नहीं किया जाएगा। सभी विवरण आयोग की वेबसाइट <https://caqm.nic.in/> पर अपलोड किए जाएंगे।

xix. बेंचमार्क विकलांगता (पीडब्ल्यूबीडी) वाले व्यक्ति संबंधित पदों पर आवेदन कर सकते हैं, भले ही पद उनके लिए आरक्षित न हो, लेकिन पीडब्ल्यूबीडी के लिए उपयुक्त के रूप में पहचाना गया हो। हालाँकि, ऐसे उम्मीदवारों को योग्यता के सामान्य मानकों के आधार पर ऐसे पद पर चयन के लिए विचार किया जाएगा।

xx. आवेदन शुल्क:-

पद का नाम आवेदन	शुल्क
सहायक कानूनी सलाहकार (वेतन स्तर -10)	रु. 500/-
कानूनी सहायक (वेतन स्तर 7)	रु.400/-
लेखाकार (वेतन स्तर 5)	रु.300/-

xxi. शुल्क भुगतान का प्रकार: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) के पक्ष में नई दिल्ली में देय डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से आवेदन पत्र के साथ जमा किया जाना चाहिए।

xii. एससी/एसटी/पीडब्ल्यूबीडी/महिला और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क का भुगतान करने से छूट दी गई है। आवेदन शुल्क में छूट के लिए उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा जारी आवश्यक प्रमाण पत्र, यदि लागू हो, आवेदन के साथ संलग्न किया जाना चाहिए।

xxiii. एक बार भुगतान किया गया आवेदन शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा।

xxiv. आवेदक को यह सुनिश्चित करना होगा कि हर तरह से पूर्ण आवेदन रोजगार समाचार में प्रकाशन की तारीख से 21 दिनों के भीतर (कार्यालय समय के दौरान) स्पीड/पंजीकृत डाक द्वारा आयोग तक पहुंच जाए। यदि अंतिम तिथि शनिवार/रविवार/राजपत्रित अवकाश होती है, तो अगले कार्य दिवस को अंतिम तिथि माना जाएगा।

अवर सचिव (प्रशासन)

उम्मीदवारों के लिए अनुदेश एवं अतिरिक्त जानकारी

1. नागरिकता:

एक उम्मीदवार को या तो होना चाहिए:

(क) भारत का नागरिक, या

(ख) नेपाल की प्रजा, या

(ग) भूटान की प्रजा, या

(घ) एक तिब्बती शरणार्थी जो 1 जनवरी 1962 से पहले भारत में स्थायी रूप से बसने के इरादे से भारत आया था, या

(ङ) भारतीय मूल का व्यक्ति जो पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या पूर्वी अफ्रीकी देशों केन्या, युगांडा, संयुक्त गणराज्य तंजानिया (पूर्व में तांगानिका और ज़ांज़ीबार), जाम्बिया, मलावी, ज़ैरे, इथियोपिया और वियतनाम से आया हो। भारत में स्थायी रूप से बसने का इरादा. बशर्ते कि उपरोक्त श्रेणियों (बी), (सी), (डी) और (ई) से संबंधित उम्मीदवार वह व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण पत्र जारी किया गया हो।

ध्यान दें: ऐसे उम्मीदवार के आवेदन पर, जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण पत्र आवश्यक है, आयोग द्वारा विचार किया जा सकता है और यदि नियुक्ति के लिए योग्य पाया जाता है तो अस्थायी रूप से नियुक्त किया जा सकता है, किन्तु उम्मीदवार को भारत सरकार द्वारा इस संबंध में जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

2. आयु सीमा: पद के लिए आयु सीमा विज्ञापन में दी गई है। विभिन्न श्रेणियों के लिए स्वीकार्य कुछ निश्चित आयु रियायतों के लिए कृपया रियायतें और छूट से संबंधित निर्देश पढ़ें।

3. न्यूनतम आवश्यक योग्यताएँ: सभी आवेदकों को पद की आवश्यक आवश्यकताओं और विज्ञापन में निर्धारित अन्य शर्तों को पूरा करना होगा। उन्हें सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पहले खुद को संतुष्ट कर लें कि उनके पास विभिन्न पदों के लिए निर्धारित कम से कम आवश्यक योग्यताएं हैं। पात्रता के संबंध में सलाह मांगने वाली किसी भी पूछताछ पर विचार नहीं किया जाएगा।

4. रियायतें और छूट:

क) **ईसीओ/एसएससीओ सहित भूतपूर्व सैनिकों और कमीशन अधिकारियों के मामले में ऊपरी आयु सीमा** में पांच साल की छूट दी जाएगी, बशर्ते कि आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि पर किसी पूर्व सैनिक द्वारा सशस्त्र बलों में प्रदान की गई 6 माह की न्यूनतम लगातार साक्षात्कृत सेवा हो। यह छूट ईसीओ/एसएससीओ के लिए भी उपलब्ध है, जिन्होंने सैन्य सेवा के पांच साल के असाइनमेंट की प्रारंभिक अवधि पूरी कर ली है और जिनके असाइनमेंट को अंतिम तिथि तक पांच साल से अधिक बढ़ा दिया गया है और जिनके मामले में रक्षा मंत्रालय प्रमाण पत्र जारी करता है कि वे नियुक्ति पत्र प्राप्त होने की तारीख से चयन होने पर 3 महीने के भीतर कार्य मुक्त होंगे। इस पैरा के तहत आयु में छूट का दावा करने वाले उम्मीदवारों को आयोग को प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

ध्यान दें: जिन पूर्व सैनिकों ने पहले ही केंद्र सरकार के तहत सिविल पद पर नियमित रोजगार हासिल कर लिया है, उन्हें केंद्र सरकार के तहत किसी भी उच्च पद या सेवा में अन्य रोजगार हासिल करने के लिए पूर्व सैनिकों के लिए स्वीकार्य आयु में छूट का लाभ दिया जाता है। हालाँकि, ऐसे उम्मीदवार केंद्र सरकार की नौकरियों में पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण, यदि कोई हो, के लाभ के लिए पात्र नहीं होंगे।

ख) उपरोक्त (ए) के तहत रियायत के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए, संबंधित उम्मीदवारों को प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उन्हें रक्षा बलों से मुक्त कर दिया गया है। ईसीओ/एसएससीओ सहित भूतपूर्व सैनिकों और कमीशन अधिकारियों के प्रमाणपत्र पर नीचे निर्दिष्ट उपयुक्त प्राधिकारियों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए और रक्षा बलों में सेवा की अवधि भी निर्दिष्ट होनी चाहिए:-

(i) ईसीओ/एसएससीओ सहित कमीशन अधिकारियों के मामले में:

सेना: कार्मिक सेवा निदेशालय, सेना मुख्यालय, नई दिल्ली।

नौसेना: कार्मिक सेवा निदेशालय, नौसेना मुख्यालय, नई दिल्ली।

वायु सेना: कार्मिक सेवा निदेशालय, वायु मुख्यालय, नई दिल्ली।

(ii) नौसेना और वायु सेना के जेसीओ/ओआर और समकक्ष के मामले में:

सेना: विभिन्न रेजिमेंटल रिकॉर्ड कार्यालयों द्वारा।

नौसेना: नौसेना रिकॉर्ड्स, मुंबई

वायु सेना: वायु सेना रिकॉर्ड्स, नई दिल्ली।

ग) केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए आयु में छूट:

केंद्र/केंद्र शासित क्षेत्र भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार सरकारी कर्मचारी के लिए ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष तक की छूट है। यह छूट केंद्र सरकार में 3 साल की निरंतर सेवा वाले और ऐसे पदों पर काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए स्वीकार्य होगी जो उसी श्रेणी या संबद्ध कैडर में हैं और जहां यह संबंध स्थापित किया जा सकता है कि उस विशेष पद पर पहले से ही प्रदान की गई सेवा जिस पद पर भर्ती की जा रही है उस पद के कर्तव्यों का कुशल निर्वहन के लिए उपयोगी होगी। इस संबंध में निर्णय सीएक्यूएम पर निर्भर करेगा। एक उम्मीदवार जो केंद्र सरकार के कर्मचारी की श्रेणी से संबंधित होने का दावा करता है और इस प्रकार इस पैरा के तहत आयु में छूट चाहता है, उसे अपने नियोक्ता से कार्यालय लेटर हेड पर इस आशय का एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह केंद्र सरकार में नियमित रूप से नियुक्त है और आकस्मिक/तदर्थ/दैनिक वेतन/प्रति घंटा भुगतान/अनुबंध आधार पर कर्मचारी नहीं है।

घ) बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी) को आयु में छूट:

i) अंधापन और कम दृष्टि, (बी) बहरा और सुनने में कठिनाई (सी) सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग से मुक्त, बौनापन, एसिड अटैक सहित लोकोमोटर विकलांगता से पीड़ित व्यक्तियों को ऊपरी आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। पीड़ित और मस्क्युलर डिस्ट्रॉफी, (डी) ऑटिज़्म, बौद्धिक विकलांगता, विशिष्ट सीखने की विकलांगता और मानसिक बीमारी, (ई) प्रत्येक विकलांगता के मामले में पहचाने गए पदों में बहरा-अंधता सहित खंड (ए) से (डी) के तहत व्यक्तियों में से एकाधिक विकलांगता सभी सिविल पदों में सीधी भर्ती की केंद्र सरकार के अधीन पदों/सेवाओं को ऐसी विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए उपयुक्त माना गया है, बशर्ते कि अंतिम तिथि पर आवेदक की अधिकतम आयु 56 वर्ष से अधिक न हो। विकलांग व्यक्तियों को आयु में छूट स्वीकार्य होगी, भले ही पद विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित हो या नहीं, बशर्ते कि पद विकलांगता की प्रासंगिक श्रेणी के लिए उपयुक्त पहचाना गया हो।

ii) आयु सीमा में छूट ऐसे व्यक्तियों को दी जाएगी जिनकी विकलांगता न्यूनतम 40% है।

- iii) यदि कोई विकलांग व्यक्ति केंद्र सरकार का कर्मचारी होने के कारण आयु में छूट का हकदार है, तो उसे 'विकलांग व्यक्ति' के रूप में या 'केंद्र सरकार के कर्मचारी' के रूप में, जो भी उसे अधिक लाभकारी हो, रियायत स्वीकार्य होगी।
- (iv) उपरोक्त प्रावधान उस पद/सेवा पर लागू नहीं होंगे जिसके लिए अधिसूचना द्वारा आयु में छूट के संबंध में अन्य विशिष्ट प्रावधान किए गए हैं।
- (v) आयु में छूट के उद्देश्य से विकलांगता की विभिन्न श्रेणियों की परिभाषा वही होगी जो "विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016" अधिनियम की धारा 2 की अनुसूची {खंड (22) में दी गई है।
- (ड). **बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी) के लिए भर्ती परीक्षा में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों के लिए लेखन सहायक की सुविधा:**

अंधापन, लोकोमोटर विकलांगता (दोनों हाथ प्रभावित-बीए) और सेरेब्रल पाल्सी की श्रेणियों में बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों को यदि व्यक्ति चाहे तो स्क्राइब की सुविधा प्रदान की जाएगी। आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 2 (आर) के तहत परिभाषित बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों की अन्य श्रेणियों के मामले में, स्क्राइब की सुविधा इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर प्रदान की जाएगी कि संबंधित व्यक्ति के पास लिखने में शारीरिक कमी है। सरकारी स्वास्थ्य देखभाल संस्थान के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/चिकित्सा अधीक्षक की ओर से स्क्राइब लिखना आवश्यक है, उम्मीदवारों के पास अपने स्क्राइब को चुनने या उसके लिए सीएक्यूएम से अनुरोध करने का विवेकाधिकार है। आवेदन भरते समय आवेदन की स्क्राइब का पूरा विवरण भरना होगा (यदि वह स्वयं का स्क्राइब लाना चाहता है) या स्पष्ट उल्लेख करना होगा कि उसे आयोग से लेखन सहायक की आवश्यकता है। लेखन सहायक की योग्यता पद के लिए आवश्यक न्यूनतम योग्यता से अधिक नहीं होनी चाहिए।

5 किए गए किसी भी अन्य दावे के लिए दस्तावेजी समर्थन।

ध्यान दें: यदि प्रस्तुत किया गया कोई भी दस्तावेज/प्रमाणपत्र हिंदी या अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य भाषा में है, तो राजपत्रित अधिकारी या नोटरी द्वारा विधिवत सत्यापित उसकी एक प्रतिलिपि प्रस्तुत की जानी है।

- i) जो उम्मीदवार एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें प्रत्येक पद के लिए अलग-अलग आवेदन करना चाहिए और निर्धारित तरीके से प्रत्येक पद के लिए शुल्क का भुगतान करना चाहिए।

- ii) उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि की प्रतीक्षा किए बिना पहले ही आवेदन जमा कर दें।

"चेतावनी":

अभ्यर्थियों को उनके आवेदन में दी गई जानकारी/दस्तावेजों के आधार पर ही शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। आवेदन में किए गए दावे के समर्थन में प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों की जांच केवल तभी की जाएगी, जब उम्मीदवार प्रथम दृष्टया आधार पर शॉर्टलिस्ट किए जाने के योग्य हों। आवेदन में दावा की गई योग्यताओं और अनुभव से संबंधित जानकारी/दस्तावेज, विज्ञापन के अनुसार विभिन्न रिपोर्टें और शॉर्टलिस्टिंग के लिए अपनाए गए तौर-तरीके और मानदंड के आधार पर निर्णय लिया जायेगा। उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसी जानकारी सत्य है। यदि बाद के किसी भी चरण में या साक्षात्कार के समय उनके द्वारा दी गई कोई भी जानकारी या उनके आवेदन में किया गया कोई दावा गलत पाया जाता है, तो उनकी उम्मीदवारी अस्वीकार कर दी जाएगी और उन्हें या तो स्थायी रूप से या किसी कारण सीएक्यूएम द्वारा उनके द्वारा आयोजित किसी भी परीक्षा या चयन से निर्दिष्ट अवधि के लिए वंचित भी किया जा सकता है।

6. दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज/प्रमाणपत्र।

(i) निम्नलिखित मूल दस्तावेजों/प्रमाण पत्रों के साथ स्व-सत्यापित प्रतियों और साक्षात्कार के लिए समन पत्र में निर्दिष्ट अन्य वस्तुओं को साक्षात्कार के समय, जहां भी लागू हो, प्रस्तुत किया जाना चाहिए, ऐसा न करने पर उम्मीदवार को साक्षात्कार में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी:-

क) मैट्रिकुलेशन/10वीं कक्षा या समकक्ष जन्मतिथि दर्शाने वाला प्रमाण पत्र, या केंद्रीय/राज्य बोर्ड द्वारा जारी मैट्रिकुलेशन/10वीं कक्षा या समकक्ष की मार्कशीट, जिसमें उनकी उम्र के दावे के समर्थन में जन्मतिथि दर्शाई गई हो। जहां संबंधित शैक्षिक बोर्डों द्वारा जारी प्रमाण पत्र/मार्कशीट में जन्म तिथि उपलब्ध नहीं है, वहां जन्म तिथि दर्शाने वाले स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र पर विचार किया जाएगा (तमिलनाडु और केरल के मामले में)।

ख) वांछनीय योग्यताओं से संबंधित शैक्षणिक योग्यता सहित दावा किए गए शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण के रूप में सभी शैक्षणिक वर्षों से संबंधित मार्कशीट के साथ डिग्री/डिप्लोमा प्रमाण पत्र। डिग्री/डिप्लोमा प्रमाणपत्र के अभाव में, सभी शैक्षणिक वर्षों से संबंधित मार्कशीट के साथ अंतरिम प्रमाणपत्र स्वीकार किया जाएगा।

- ग) दावा की गई समकक्ष शैक्षिक योग्यता के संबंध में आदेश/पत्र, जिसमें उस प्राधिकारी (संख्या और तारीख के साथ) का उल्लेख किया गया हो जिसके तहत इसे आवश्यक योग्यता में समकक्ष खंड के संबंध में माना गया है, विज्ञापन की आवश्यकता के अनुसार. यदि कोई उम्मीदवार किसी विशेष योग्यता को समकक्ष योग्यता के रूप में दावा कर रहा है।
- घ) दावा किए गए पूरे अनुभव के लिए संगठन/विभाग से प्रमाण पत्र, जिसमें रोजगार की अवधि (दिनांक, माह और वर्ष) का स्पष्ट उल्लेख हो। प्रमाणपत्र में पद(पदों) में किए गए कर्तव्यों/प्राप्त अनुभव की प्रकृति का भी उल्लेख होना चाहिए।
- ड) शुल्क में छूट पाने के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में आरक्षण चाहने वाले उम्मीदवार द्वारा सक्षम प्राधिकारी से निर्धारित प्रोफार्मा में जाति प्रमाण पत्र, जिसमें स्पष्ट रूप से उम्मीदवार की जाति, अधिनियम/आदेश जिसके तहत जाति को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है और गांव/कस्बा दर्शाया गया हो, उम्मीदवार सामान्यतः जिसका निवासी है।
- च) मेडिकल फिटनेस के निर्धारित मानकों के आधार पर पद पर नियुक्ति के लिए पात्र बेंचमार्क विकलांग (पीडब्ल्यूबीडी) व्यक्तियों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निर्धारित प्रोफार्मा में विकलांगता का प्रमाण पत्र। विकलांगता प्रमाणपत्र जारी करने का सक्षम प्राधिकारी केंद्र या राज्य सरकार द्वारा विधिवत गठित एक मेडिकल बोर्ड होगा। केंद्र/राज्य सरकार कम से कम तीन सदस्यों वाले मेडिकल बोर्ड का गठन कर सकती है, जिनमें से कम से कम एक लोकोमोटर/सेरेब्रल/दृश्य/श्रवण विकलांगता, जैसा भी मामला हो, का आकलन करने के लिए विशेष क्षेत्र का विशेषज्ञ होगा।
- छ) एक उम्मीदवार जो मैट्रिक के बाद विवाह या पुनर्विवाह या तलाक आदि पर नाम में परिवर्तन का दावा करता है, उसे निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे: -
- (i) **महिलाओं के विवाह के मामले में** - पति के पासपोर्ट की फोटोकॉपी जिसमें पति/पत्नी का नाम हो या विवाह रजिस्ट्रार द्वारा जारी विवाह प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति या शपथ आयुक्त के समक्ष विधिवत शपथ ली गई संयुक्त तस्वीर के साथ पति और पत्नी का एक शपथ पत्र;
- ii) **महिलाओं के पुनर्विवाह के मामले में** - पहले पति या पत्नी के संबंध में तलाक विलेख/मृत्यु प्रमाण पत्र, जैसा भी मामला हो; और वर्तमान पति के पासपोर्ट की फोटोकॉपी जिसमें पति या पत्नी का नाम दिखाया गया हो या विवाह रजिस्ट्रार द्वारा जारी विवाह प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति या शपथ आयुक्त के समक्ष विधिवत शपथ ली गई संयुक्त तस्वीर के साथ पति और पत्नी का एक शपथ पत्र।

iii) महिलाओं के तलाक के मामले में - शपथ आयुक्त के समक्ष विधिवत शपथ ली गई तलाक डिक्री और डीड पोल/शपथ पत्र की प्रमाणित प्रति।

iv) अन्य परिस्थितियों में पुरुष और महिला दोनों के लिए नाम परिवर्तन

डीड पोल / शपथ पत्र शपथ आयुक्त के समक्ष विधिवत शपथ और मूल रूप से दो प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों की पेपर कटिंग (एक दैनिक समाचार पत्र आवेदकों के स्थायी और वर्तमान पते या नजदीकी क्षेत्र का होना चाहिए) और राजपत्र अधिसूचना।

ज) आयु में छूट के संबंध में प्रमाण पत्र/दस्तावेज़:

(i) ईसीओ/एसएससीओ सहित भूतपूर्व सैनिक और कमीशन अधिकारी के लिये सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र

(ii) विज्ञापन की तारीख के बाद सक्षम प्राधिकारी से निर्धारित प्रोफार्मा में केंद्रीय/केंद्रशासित प्रदेश सरकार के कर्मचारी/कर्मचारी।

(iii) विशेष प्रावधान/आदेश के तहत आयु में छूट चाहने वाले व्यक्ति।

झ) जो व्यक्ति पहले से ही नियमित सरकारी सेवा में हैं, चाहे वे आकस्मिक/तदर्थ/दैनिक वेतन/प्रति घंटा भुगतान/अनुबंध आधार के अलावा स्थायी या अस्थायी क्षमता में हों, उन्हें एक घोषणा प्रस्तुत करनी होगी कि उन्होंने अपने कार्यालय/विभाग के प्रमुख को लिखित रूप में सूचित कर दिया है कि उन्होंने चयन के लिए आवेदन किया है।

ण) किए गए किसी भी अन्य दावे के लिए दस्तावेजी समर्थन।

6(II). शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवार (लेखाकार और कानूनी सहायक के पद के लिए भर्ती के मामले में, जहां साक्षात्कार शामिल नहीं है, आयोग द्वारा मांगे जाने पर एक दस्तावेज (जैसा लागू हो) प्रस्तुत करेंगे।

नोट I: भर्ती आवेदन में उल्लिखित जन्मतिथि अंतिम होगी। जन्मतिथि में बदलाव के किसी भी बाद के अनुरोध पर विचार या अनुमति नहीं दी जाएगी।

नोट II: उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने के लिए वैध अनुभव की गणना करते समय किसी उम्मीदवार द्वारा अंशकालिक आधार, दैनिक वेतन, विजिटिंग/गेस्ट फैकल्टी के रूप में प्रदान किए गए अनुभव की अवधि को नहीं गिना जाएगा।

7. (क) कदाचार के दोषी पाए गए उम्मीदवारों के खिलाफ कार्रवाई:

उम्मीदवारों को चेतावनी दी जाती है कि उन्हें आवेदन पत्र भरते समय कोई भी गलत विवरण नहीं देना चाहिए या किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी को छिपाना नहीं चाहिए। अभ्यर्थियों को यह भी चेतावनी दी जाती है कि वे किसी भी स्थिति में सुधार या परिवर्तन या अन्यथा छेड़छाड़ न करें किसी दस्तावेज़ में किसी प्रविष्टि या उनके द्वारा प्रस्तुत इसकी सत्यापित/प्रमाणित प्रति के साथ और न ही उन्हें कोई छेड़छाड़/मनगढ़ंत दस्तावेज़ प्रस्तुत करना चाहिए। यदि दो या दो से अधिक ऐसे दस्तावेजों या उनकी सत्यापित/प्रमाणित प्रतियों के बीच कोई अशुद्धि या कोई विसंगति है, तो इस विसंगति के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

ऐसे उम्मीदवार जिसे आयोग द्वारा दोषी घोषित किया गया है:

- क) किसी भी माध्यम से अपनी उम्मीदवारी का समर्थन प्राप्त करना, या
- ख) अपने स्थान पर किसी अन्य की परीक्षा दिलाना, या
- ग) किसी अन्य आवेदक के स्थान पर परीक्षा देना, या
- घ) मनगढ़ंत दस्तावेज़ या ऐसे दस्तावेज़ प्रस्तुत करना जिनके साथ छेड़छाड़ की गई है, या
- ङ) ऐसे बयान देना जो गलत हों या महत्वपूर्ण जानकारी को छिपाना, या
- च) अपनी उम्मीदवारी या चयन के संबंध में किसी अन्य अनियमित या अनुचित साधनों का सहारा लेना, या
- छ) परीक्षण के दौरान अनुचित साधनों का उपयोग करना, या
- ज) स्क्रिप्ट में अक्षील भाषा या अक्षील सामग्री सहित अप्रासंगिक सामग्री लिखना, या
- ण) परीक्षा हॉल में किसी अन्य तरीके से दुर्व्यवहार करना, या
- ट) सीएक्यूएम द्वारा परीक्षण के संचालन के लिए नियुक्त कर्मचारियों को परेशान करना या शारीरिक नुकसान पहुंचाना, या
- ठ) परीक्षा केंद्र/साक्षात्कार हॉल में मोबाइल फोन/संचार उपकरण लाना।
- ड) जैसा भी मामला हो, उपरोक्त खंडों में निर्दिष्ट सभी या किसी भी कृत्य में शामिल पाये जाने या प्रयास करना या उसे बढ़ावा देने, पर आवेदन आपराधिक अभियोजन का उत्तरदायी हो सकता है:

(i) सीएक्यूएम द्वारा उस चयन के लिए अयोग्य ठहराया जाना जिसके लिए वह उम्मीदवार है, और/या

(ii) सीएक्यूएम द्वारा उनके द्वारा आयोजित किसी भी परीक्षा या चयन से स्थायी रूप से या एक निर्दिष्ट अवधि के लिए प्रतिबंधित किया जाएगा।

ख. अन्य जानकारी/अनुदेश:

क) यदि आवश्यक हो, तो उम्मीदवारों को ऐसे स्थान पर व्यक्तिगत साक्षात्कार में भाग लेना होगा, जो सीएक्यूएम द्वारा तय किया जा सकता है।

ख) साक्षात्कार के लिए उम्मीदवारों को बुलाए जाने पर इस बात का कोई आश्वासन नहीं दिया जाता कि उनका चयन कर लिया जाएगा। चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति आदेश आयोग द्वारा जारी किये जायेंगे।

ग) उम्मीदवारों को शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। यदि उनका चयन किया जाता है, तो उन्हें ऐसी चिकित्सा परीक्षा से गुजरने के लिए तैयार रहना होगा और आयोग की आवश्यकता के अनुसार ऐसे चिकित्सा प्राधिकारी को संतुष्ट करना होगा।

घ) उम्मीदवारों को सीएक्यूएम की वेबसाइट के माध्यम से उचित समय पर अंतिम परिणाम के बारे में सूचित किया जाएगा और परिणाम के बारे में किसी भी अंतरिम पूछताछ पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। आयोग साक्षात्कार/नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों के गैर-चयन के कारणों के बारे में उनसे पत्राचार नहीं करेगा।

महत्वपूर्ण

किसी भी संचार उपकरण सहित मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स परीक्षण केंद्र / साक्षात्कार हॉल में प्रतिबंधित है

क) सरकार ऐसे कार्यबल का प्रयास करती है जो लिंग संतुलन को दर्शाता हो और महिला उम्मीदवारों को आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

ख) अपने आवेदन, उम्मीदवारी आदि के संबंध में किसी भी मार्गदर्शन/जानकारी/स्पष्टीकरण के मामले में, उम्मीदवार रोजगार समाचार में इसके प्रकाशन की तारीख से 21 दिनों के भीतर किसी भी कार्य दिवस पर सीएक्यूएम से व्यक्तिगत रूप से या टेलीफोन नंबर 011-23701213 पर 9.30 बजे से 18.00 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं।

अवर सचिव (प्रशासन)

APPLICATION FORMAT

(Candidates should fill up application forms carefully and correctly in CAPITAL LETTERS with BLUE OR BLACK BALL PEN. No column should be left blank)

Space for
recent
Passport size
colour
photograph

1. Post applied for : _____
2. Name of the applicant in Full (Mr/Ms./Dr) :

(attach self-attested copy of Govt. of India issued photo Identity Card)
3. Address:
 - a. Correspondence _____
_____ Pin Code _____
 - b. Permanent _____
_____ Pin Code _____
4. Mobile No.: (+91) _____
(Only one valid Mobile No.)
5. Email ID : _____
(Only one valid & active Email ID)
6. Date of Birth : ___/___/___
(DD/MM/YYYY)
7. Nationality : _____
8. Sex : Male () Female () Other ()
9. Marital Status : Married/Unmarried/Divorced/Widow _____
10. Father's/Husband's/Mother's Name : _____
11. Indicate Category (SC/ST/OBC/PwBD/Ex-S. Man/EWS/UR) _____
 - (a) In case of PwBD category whether the scribe is required: Yes/No _____.
If Yes, whether scribe required from CAQM/Own: _____.
 - (b) Enclose self-attested copy of category certificate.

12. Educational/Professional Qualification obtained (commencing with Matriculation or equivalent examination, attach self-attested copies of all certificates).

S.N.	Certificate/ Degree	Board/University	Subjects	Year of passing

13. Experience (Attach self-attested copies of experience certificates)

Name of the Employer/ Organisation	Post Held	From		to	Nature of duties	Scale of pay and last salary drawn
Total Experience in DD/MM/YYYY:						

(NOTE: The period of experience rendered by a candidate on part time basis, daily wages, visiting guest faculty will not be counted while calculating the valid experience for short listing of the candidates.

14. Fees Details:

DD No.	Date	Issuing Bank	Branch	Amount

15. Please state clearly in the light of above entries whether you meet the requirements of the post (Yes/No): _____.

16. Are you under any contractual obligation to serve the Central/State Government/Public Sector Undertaking/Autonomous Body? If so, please furnish full details.

Declaration:

I hereby declare that the information furnished & entries made in this form and the additional particulars, if any, furnished herewith by me are true to the best of my knowledge & belief and nothing has been concealed/distorted. If at any time I am found to have concealed/distorted any material information, my appointment shall be liable for termination without notice or compensation.

(Signature of the Applicant)

List of Enclosures:

1. Demand Draft (in Original)
- 2.
- 3.
- 4.

Date:

Place: